राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	221/2026 गणपतलाल बनाम रमेश हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 220/2026 यादराम मोर्य बनाम लच्छी देवी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09/04/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई	अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित	अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद संख्या 138/2015 उनवानी घासी बनाम रमेश को एवं वाद संख्या 44/2023 उनवानी यादराम बनाम लच्छी देवी को हमफिता कर पारित किये गये गये एक ही निर्णय व डिक्री दिनांक 13/02/2026 के विरुद्ध इस न्यायालय के समक्ष अपील संख्या 221/2026 एवं 220/2026 प्रस्तुत की गयी है, जिसमे प्रशनगत भूमि समान होने से पक्षकारान की इकजाई बहस सुनी जानी उचित समझी जाती है	अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस दोनों पत्रावली पर ईकजाई रूप से सुनी गयी	अत: पत्रावलीयां निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है	पत्रावलीयां वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 13/04/2026 को पेश हो | राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
13/04/2026	आज यह दोनों पत्रावलीयां वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई	संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि वादी घासी एवं वादी यादराम मोर्य ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 11, 84, 86 रकबा 26 बीघा 04 बिस्वा स्थित ग्राम बल्लूपुरा पटवार हल्का सुमेल, तहसील एवं जिला जयपुर के सन्दर्भ में पृथक-पृथक दो वाद क्रमश: 138/2015 उनवानी घासी बनाम रमेश एवं 44/2023 उनवानी यादराम मोर्य बनाम लच्छी देवी बाबत घोषणा, तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद संख्या 138/2015 में प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 21/05/2018 पारित करते हुये ग्राम बल्लूपुरा तहसील जयपुर स्थित आराजीयात खसरा नम्बर 11 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 84 रकबा 8 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 86 रकबा 15 बीघा कुल किता 3 कुल रकबा 26 बीघा 04 बिस्वा का वर्तमान राजस्व-रिकार्ड के अनुसार उभयपक्षों को सूचित करते हुये उनकी उपस्थित में राजस्व काश्तकारी विभाजन नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना करते हुये बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये	अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद संख्या 44/2023 उनवानी यादराम मोर्य बनाम लच्छी देवी में दिनांक 12/08/2025 को अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी पर सुनी गयी एवं आगामी पेशी दिनांक 25/08/2025 नियत की गयी	दिनांक 24/09/2025 को प्रतिवादी सख्या 89 ने प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी को विड्रा किये जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया	तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 13/02/2026 को पक्षकारान की बहस प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी बाबत वाद को कंसोलिडेट किये जाने पर सुनी जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	221/2026 गणपतलाल बनाम रमेश हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 220/2026 यादराम मोर्य बनाम लच्छी देवी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

13/02/2026 पारित करते हुये अन्य वाद संख्या 138/2015 उनवानी घासी बनाम रमेश का समान प्रवृति का ही होने से उक्त वाद संख्या 44/2023 को हमफिता कर कर दिया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद संख्या 138/2015 में अपीलाधीन आदेश दिनांक 13/02/2026 पारित करते हुये वादी के गैर खातेदार होने तथा मौके पर आबादी विस्तार होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53,88 व 188 पोषणीय नही होना धारित करते उए वादी का वाद ख़ारिज फरमा दिया गया | जिससे व्यथित होकर वाद संख्या 44/2023 उनवानी यादराम बनाम लच्छी में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13/02/2026 के विरुद्ध 220/2026 उनवानी यादराम बनाम लच्छी देवी एवं वाद संख्या 138/2015 उनवानी घासी बनाम रमेश में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13/02/2026 के विरुद्ध अपील संख्या 221/2026 उनवानी गणपतलाल बनाम रमेश इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है | जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस दोनों पत्रावलीयो पर ईकजाई रूप से सुनी गयी | चूँकि दोनों अपीले समान प्रवृति एवं समान भूमि में पारित अपीलाधीन निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है, जिसमे उभयपक्षों की ईकजाई बहस समायत की गयी है | अत: इस एक ही निर्णय के माध्यम से दोनों अपीलों का निस्तारण किया जा रहा है | निर्णय की एक-एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर सलग्न की जावे |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रियाओ की अनुपालना किये बगैर ही सरसरी तौर पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये गये है, जो विधिक प्रकियाओ एवं प्रावधानों के विपरित प्रतीत होता है | ऐसी स्थिति में प्रकरण विधिक प्रक्र्याओ एवं प्रावधानों की अनुपालना करते हुये पुन: विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित्त समझा जाता है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 13/02/2026 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे विधिक प्रक्रियाओ एवं प्रावधानों की अनुपालना करते हुये बाद सुनवाई उभयपक्षकारान विधिसम्मत एवं विवेचनात्मक निर्णय व डिक्री पुन: पारित करे |

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	221/2026 गणपतलाल बनाम रमेश हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 220/2026 यादराम मोर्य बनाम लच्छी देवी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

तदनुसार अपील संख्या 220/2026 व 221/2026 आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13/04/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर